स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970.

FOR PUBLICATION IN THE DELHI POLICE GAZETTE : DELHI

(Orders passed by the Commissioner of Police : Delhi.)

Dated : 04/11/2026

No. A/1/3(16)/2025/77705/Prom. Cell/CB-II/PHQ: **AD-HOC PROMOTION** : - The Commissioner of Police, Delhi is pleased to grant Ad-hoc Promotion to Asstt. Sub-Inspector (Exe.) Dharambir, No. 2324-D (PIS No. 28861719) (GN) to the rank of Sub-Inspector (Exe.) with immediate effect for a period of six months under Rule-19(i) of Delhi Police (Promotion & Confirmation) Rules, 1980 : -

He will not be entitled to claim any right for regular appointment or seniority or for appointment to such or any other equivalent post and shall be liable for reversion without any notice and without assigning any reason. The Ad-hoc promotion shall be discontinued from the date when promotee(s) is/are placed under suspension or DE is ordered or any Criminal Case is registered or awarded Censure on moral turpitude or corruption pursuant to major penalty proceedings.

CG. No. P- 17 1126-143- 0023

(ARUN K. SHARMA) ADDL. DCP/HQ-IV
FOR COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.

No. A/1/3(16)/2025/77706-716/Prom. Cell/CB-II/PHQ, dated Delhi, the 04/11/2026

Copy for information and necessary action to: -

1. Joint. CP/Security, Delhi.
2. OSD to CP, Delhi.
3. DCP/Security, Delhi for taking necessary action. The individual may also be informed, accordingly against his proper receipt. It may also be ensured that the Ad-hoc promotee is awarded any kind of punishments or any DE/Crl. Case/Under Suspension etc. is initiated against any of him, the same shall be brought to the notice of PHQ atonce separately for taking necessary action.
4. DCsP/Vigilance & DE Cell & I.T./PHQ, Delhi.
5. Inspr./Estt./PHQ for publication in DPG.
6. ACs-IV & Record in CB/PHQ.
7. I/C-Computer/CB/PHQ for uploading the same in Website of Delhi Police.
8. AC-III/CB/PHQ with 01 spare copies for placing the same in PF.

P.T.O.

पुलिस आयुक्त का कार्यालय : दिल्ली।
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001।

दूरभाष संख्या : 011-23746100 एक्सटेंशन 69970।

दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
(पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा पारित आदेश)

दिनांक : 04/11/**2026**

संख्या A/1/3(16)/2025/77705 /**Prom. Cell/CB-II/PHQ तदर्थ पदोन्नति (AD-HOC PROMOTION) :-** पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं पुष्टिकरण) नियमावली, 1980 के नियम 19(i) के अंतर्गत सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) धर्मबीर, संख्या 2324-D (PIS संख्या 28861719) (GN) को तत्काल प्रभाव से छह माह की अवधि के लिए उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान की जाती है। उन्हें नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता अथवा उक्त पद या किसी अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त करने का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना दिए तथा बिना कोई कारण बताए पदावनत (वापस पूर्व पद पर) किया जा सकेगा।

यह तदर्थ पदोन्नति उस दिन से समाप्त मानी जाएगी, जिस दिन पदोन्नत कर्मचारी को निलंबित किया जाता है अथवा उसके विरुद्ध विभागीय जांच (DE) के आदेश जारी किए जाते हैं अथवा कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है अथवा प्रमुख दंड कार्यवाही के परिणामस्वरूप नैतिक अधमता (Moral Turpitude) या भ्रष्टाचार के आधार पर निंदा (Censure) का दंड दिया जाता है।

CG. No. P-1126-143- 17-0003

(अरुण कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/मुख्यालय-IV
For पुलिस आयुक्त, दिल्ली।

संख्या A/1/3(16)/2025/77706-716 /**Prom. Cell/CB-II/PHQ, दिनांक दिल्ली,** 04/11/ **2026**

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. संयुक्त पुलिस आयुक्त/सुरक्षा, दिल्ली।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली के विशेष कार्य अधिकारी (OSD)।
3. पुलिस उपायुक्त/सुरक्षा, दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई हेतु। संबंधित कर्मचारी को भी विधिवत प्राप्ति रसीद लेकर इसकी सूचना दी जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि तदर्थ पदोन्नत कर्मचारी को किसी भी प्रकार का दंड दिया जाता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच (DE)/आपराधिक मामला (Criminal Case) प्रारंभ किया जाता है अथवा उसे निलंबित किया जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल पृथक रूप से पुलिस मुख्यालय (PHQ) को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए।
4. पुलिस उपायुक्त/सतर्कता एवं विभागीय जांच प्रकोष्ठ तथा आई.टी./पुलिस मुख्यालय, दिल्ली।
5. निरीक्षक/स्थापना/पुलिस मुख्यालय को दिल्ली पुलिस राजपत्र (DPG) में प्रकाशन हेतु।
6. AC-IV एवं रिकॉर्ड शाखा, CB/PHQ।
7. प्रभारी-कंप्यूटर/CB/PHQ को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. AC-III/CB/PHQ को एक अतिरिक्त प्रति सहित व्यक्तिगत फाइल (PF) में रखने हेतु।

P.T.O.